

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उ०प्र०, लखनऊ

संख्या-एम०ई०-3/2025/ 1529

लखनऊ:दिनांक 15 जुलाई, 2025

यू०पी० नीट एम०डी०एस०-2025 के अन्तर्गत द्वितीय चक्र की ऑन लाईन काउंसिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश

1. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में सीटों का आवंटन द्वितीय चक्र की मेरिट सूची के आधार पर होगा।
2. प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रवेश न लेने अथवा प्रवेशोपरान्त त्याग-पत्र देने के पश्चात् अभ्यर्थियों को **Free Exit** की व्यवस्था निर्धारित है, अतः ऐसे अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो, उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
4. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को प्रथम चक्र की रिक्त (Vacant)/नॉट रिपोर्टेड (Not reported) एवं रिजार्इन (Resign) सीटें **Clear-cut Vacancy** के तौर पर प्रदर्शित की जायेगी। उक्त वैकेन्सी के अतिरिक्त **Seat Against Cancellation (SAC)** का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। **SAC** सीटें एक प्रकार की **Virtual vacancies** हैं, जो कि पूर्व से प्रवेशित अभ्यर्थी की सीट यदि अपग्रेड होती है, तो उसकी सीट नियमानुसार मेरिट कम विकल्प के आधार पर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी।
5. अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिलिंग के उपरान्त च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है, च्वाईस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को सीट आवंटन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है, तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत् बनी रहेगी।
7. अभ्यर्थी द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि पुनरावंटन हेतु पूर्व से प्रवेशित सीट का विकल्प छोड़कर ही अन्य विकल्प/च्वाईस भरी जाये, अन्यथा की स्थिति में यदि पूर्व प्रवेशित सीट पुनः आवंटित हो जाती है, तो अभ्यर्थी को नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर पूर्व की भांति ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
8. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अर्ह होंगे।
9. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेते हैं, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् राजकीय क्षेत्र के कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को संबंधित डेण्टल कालेज / विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्र के कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को संबंधित नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी।

11. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी०टी०एस० बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० (Director General Medical Education & Training U.P payable at Lucknow) के पक्ष में निर्गत हो. संबंधित नोडल सेन्टर पर जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं का फी-स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट <https://upneet.gov.in> एवं www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।

12. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को डेण्टल कालेज / नोडल सेन्टर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

13. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन / पुनरावंटन प्राप्त होने के फलस्वरूप संबंधित नोडल सेन्टर पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् समस्त अभ्यर्थी संबंधित डेण्टल कालेज में रिपोर्ट करेंगे।

14. नीट पी०जी० 2025 हेतु नीति निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 06.06.2025 एवं ब्रोशर में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही समस्त चक्रों की काउंसिलिंग प्रक्रिया सम्पन्न करायी जायेगी। अतएव काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व शासनादेश एवं ब्रोशर का स्वयं अवलोकन करें।

15. नीट एम०डी०एस०-2025 काउंसिलिंग सबधी समस्त अद्यतन सूचनाओं के लिये विभागीय वेबसाइट <https://upneet.gov.in> एवं www.dgme.up.gov.in पर निरन्तर अवलोकन करते रहें।



कृते महानिदेशक